सहारा 29-4-2000 P-1

मैच फिक्सिंग मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी

सहारा समाचार/एजेंसियां

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। संसद और इसके बाहर की गयी पुरजोर मांग को मानते हुए सरकार ने क्रिकेट जगत को हिला देने वाले बहुचर्चित मैच फिक्सिंग मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी है। खेल मंत्री सुखदेव सिंह ढींडसा ने आज लोकसभा में एक बयान के जरिये यह घोषणा की। सरकार ने जांच के दौरान सबूत मुहैया कराने वालों को पूरी सुरक्षा देने की बात कही है। अपने बयान में खेल मंत्री ने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और बेकसूरों को बदनाम नहीं किया जाना चाहिए लिहाजा सरकार ने मामले की संवेदनशीलता और जटिलताओं को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। श्री ढींडसा ने उम्मीद जतायी कि सीबीआई से जांच कराये जाने से इस मामले में अफवाहों और संदेहों का कोहरा छंट जायेगा।

श्री ढींडसा ने कहा कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए पर जो व्यक्ति झूठे आरोप लगाते हैं उनका भी पर्दाफाश होना चाहिए। खेल मंत्री ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं, मामले की संवेदनशीलता, संबद्ध जटिलताओं तथा अधिकार क्षेत्र के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समुचित जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए यह मामला सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि देश की प्रमुख पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों, प्रसिद्ध क्रिकेट प्रशासकों और खिलाड़ियों के वक्तव्यों के आधार पर भी इस मामले में आगे जांच कराने की जरूरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सीबीआई जांच से इस मुद्दे को लेकर फैली अफवाहों और संदेहों का कोहरा छंट जाएगा। खेलमंत्री ने आश्वासन दिया कि मैच फिक्सिंग के संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के तत्कालीन कप्तान हैंसी क्रोनिए तथा अन्य के विरुद्ध दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले को तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए पूरी कार्रवाई की जाएगी। श्री ढींडसा ने इस मामले पर हुई पूर्व चर्चा के दौरान ही सदन को आश्वासन दिया था कि मैच फिक्सिंग के मामले में किसी किस्म की सरकारी एजेंसी द्वारा जांच कराने की जरूरत महसूस होगी सरकार उसमें संकोच नहीं करेगी। श्री ढींडसा ने क्रिकेट से जुड़े सभी महत्वपूर्ण लोगों की आज ही यहां एक बैठक

(शेष पृष्ठ 11 पर)

आखिर किशन कुमार दिल्ली पुलिस के फंदे में

सहारा समाचार

नयी दिल्ली, 28 अप्रैल। मैच फिक्सिंग के मामले में आरोपी अभिनेता किशन कुमार को आज अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर ही लिया। यह गिरफ्तारी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के एक आदेश पर रोक लगाने के कारण संभव हो सकी। किशन कुमार को आज ही अपराध शाखा पूछताछ हेतु 5 दिन की पुलिस हिरासत में ले गयी। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय को भी 48 घंटे के लिए राजेश कालरा से पूछताछ का आदेश मिला है। परंतु आरोपी की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। आज अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संगीता धींगरा सहगल की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 दिन की पुलिस हिरासत से किशन कुमार को लाकर पेश किया। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील सुभाष बंसल से पूछा कि दो दिन की पूछताछ का क्या निष्कर्ष निकला। इस पर उन्होंने बताया कि आरोपी ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बतायी इस कारण उसे 4 घंटे के लिए अस्पताल में भर्ती कराना

(शेष पृष्ठ 11 पर)

सहारा 29-4-2000 P-11

मैच फिक्सिंग मामले की जांच सीबीआई...

(पृष्ठ एक का शेष)

बुलाई थी जिसमें मैच फिक्सिंग प्रकरण पर विस्तृत विचार विमर्श किया गया। बैठक में ढींडसा के अलावा खेल राज्यमंत्री चौब सिंह, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष ए सी मुथैया और सचिव जे. वाई लेले, उपाध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री मनोहर जोशी, बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष माधवराव सिंधिया, राजसिंह डूंगरपुर, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, किशोर रूंगटा, सी नागराज, प्रशिक्षक कपिलदेव, सुनील गावस्कर, मो. अजहरुद्दीन, सचिन तेंदुलकर तथा बिशनसिंह बेदी ने भाग लिया। बैठक में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली और कप्तान सौरभ गांगुली को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन वे उपस्थित नहीं हो सके। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कपिल देव और पूर्व आलराउंडर मनोज प्रभाकर ने सट्टेबाजी मैच फिक्सिंग मामले की जांच सीबीआई से कराने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपकर ठीक किया, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेल के लिए यह जरूरी था।

पूर्व कप्तान मंसूर अली खान पटौदी ने भी सीबीआई जांच के आदेश को सही फैसला बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के लिए ऐसी जांच कर पाना मुमकिन नहीं था। क्रिकेट बोर्ड के सचिव जयवंत लेले ने कहा कि बोर्ड जांच में सीबीआई को पूरी मदद करेगा पर जितनी जल्दी जांच पूरी हो जाये उतना अच्छा होगा। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष एसी मुथैया ने आज यहां कहा कि बोर्ड के आग्रह पर मैच फिक्सिंग के आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपी गई है और उम्मीद की जाती है कि केन्द्रीय खेल मंत्री सुखदेव सिंह ढिंडसा जांच की प्रक्रिया एक निर्धारित समय के अंदर ही पूरा करने का आदेश देंगे।

सरकार द्वारा आज मैच फिक्सिंग घोटाले की जांच सीबीआई द्वारा कराए जाने की घोषणा का स्वागत करते हुए मुथैया ने कहा खेल मंत्री के साथ कल नयी दिल्ली में हुई बैठक में बोर्ड ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। श्री मुथैया ने कहा बीसीसीआई ने बैठक में पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी और मैंने खेल मंत्री से कहा था कि बोर्ड सरकार को इस काम में और जांच शुरू करने वाली जांच समिति को पूरा सहयोग देगा। हम इसका मामले का जल्दी से जल्दी अंत चाहते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष पी एम रूंगटा,राज सिंह डूंगरपुर,भारतीय टीम के पूर्व कप्तान चंदू बोर्डे, बिशन सिंह बेदी ने भी मैच फिक्सिंग प्रकरण की जांच सीबीआई से कराये जाने का स्वागत किया है। रूंगटा ने कहा कि हम सीबीआई द्वारा की जाने वाली जांच में पूरा सहयोग देंगे। हम चाहते है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकल आये।

किशन कुमार को अग्रिम...

(पृष्ठ एक का शेष)

पड़ा। इसी दौरान अपराध शाखा के उपायुक्त प्रदीप श्रीवास्तव ने बताया कि वह किशन कुमार को गिरफ्तार करना चाहते हैं। श्रीवास्तव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीशों केटी थामस व आरपी सेठी ने किशन कुमार की अन्तरिम जमानत पर 4 मई तक रोक लगा दी है। अदालत ने इस पर पुलिस उपायुक्त से कहा कि वह आपका अधिकार है। इसके बाद जांच अधिकारी ने अदालत में ही औपचारिक रूप से किशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। बाद में अपराध शाखा ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट केएस मोही की अदालत में आरोपी को पेश करते हुए दस दिन की पुलिस हिरासत की मांग की। अभियोजक अहमद खान ने अदालत से कहा कि आरोपी किशन कुमार से वह मोबाइल फोन बरामद करना है जिसका उपयोग मैच फिक्सिंग के लिये हुआ था। उन्होंने कहा कि अपराध शाखा द्वारा रिकार्ड की गयी बातचीत का भी स्वर परीक्षण कराना है साथ ही मैच फिक्सिंग में पैसे का लेन देन किस प्रकार हुआ और धन कहां-कहां से आया इसके बारे में भी पूछताछ करनी है। किशन कुमार के वकील आरके आनंद व आईयू खान ने दलील दी कि किशन कुमार से इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय कई बार पूछताछ कर चुकी है। अतः एक ही मामले में कई बार पूछताछ कानूनी रूप से गलत है। उन्होंने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि फेरा उल्लंघन का मामला अलग है और अपराध शाखा में दर्ज धोखाधड़ी व साजिश रचने का मामला अलग। अदालत ने अपराध शाखा को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। उधर फेरा उल्लंघन के मामले में राजेश कालरा को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धींगरा की अदालत में पेश किया गया। प्रवर्तन निदेशालय के वकील सुभाष बंसल ने कहा कि आज ही दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वय उषा मेहरा व पुष्पल कपूर ने आरोपी से पूछताछ के लिए 48 घंटे का समय दिया है। परन्तु न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। अदालत ने अपने आदेश में उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी राजेश कालरा से प्रवर्तन अधिकारी अपने कार्यालय में प्रवर्तन निदेशालय के वकील और निदेशालय अधिकारी से पूछताछ करेंगे।

Page-2 Date-31-5-2000 दैनिक जागरण

किशन कुमार की जमानत नामंजूर

'वर्तमान परिस्थितियों में जमानत देना न्यायिक हित में नहीं'

विधि संवाददाता

नई दिल्ली, 30 मई। अदालत ने क्रिकेट मैच फिक्सिंग से संबद्ध फेरा उल्लंघन मामले में अभियुक्त किशन कुमार की जमानत नामंजूर कर दी। अदालत ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उसे जमानत देना न्यायिक हित में नहीं है।

पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शारदा अग्रवाल ने अपने निर्णय में कहा कि इस मामले में मुख्य अभियुक्त संजीव चावला के प्रत्यर्पण की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा आरोपपत्र दाखिल करने की अवधि 60 दिन करीब है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम कप्तान हैंसी क्रोनिए के संबंध में भी जांच विचाराधीन है। श्रीमती अग्रवाल ने कहा कि ऐसी स्थिति में यदि अभियुक्त को जमानत प्रदान की गई तो वह साक्ष्यों को नष्ट कर सकता है। अतः वे उसकी जमानत अर्जी नामंजूर करती हैं। अभियुक्त किशन कुमार की फेरा उल्लंघन व अपराध शाखा मामलों में पहले भी जमानत नामंजूर हो चुकी है। इससे पूर्व प्रवर्तन निदेशालय

मैच फिक्सिंग मामला

अधिवक्ता सुभाष बंसल ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क रखा कि इस मामले की जांच नाजुक मोड़ पर है और इस स्थिति में जमानत देने से साक्ष्य प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने अभियुक्त के देश से बाहर चले जाने की भी संभावना व्यक्त की है। श्री बंसल ने कहा कि अभियुक्त के खिलाफ समाज के एक बडे वर्ग के धोखधड़ी करने का आरोप है। उन्होंने बताया कि उसी फोन से उसने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के कप्तान हैंसी क्रोनिए से वार्तालाप की थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में चार लाख डालर देश से बाहर भेजे गए हैं और इसके पुख्ता सबूत प्रवर्तन निदेशालय के पास हैं।

वहीं किशन कुमार की ओर से पेश अधिवक्ता आर.के.आनंद व एच.आर.मुहेल ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के पास फेरा उल्लंघन का कोई ठोस सबूत नहीं है। किशन कुमार ने देश से बाहर कैसे रुपये पहुंचाए और किसे उसका भुगतान किया गया इसका कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। उन्होंने दलील दी कि क्रिकेट मैच फरवरी व मार्च में आयोजित किए गए और पुलिस ने नवंबर में की गई फोन टैपिंग का हवाला दिया है। श्री आनंद ने कहा कि मैच फिक्सिंग मामले में टेप रिकार्डिंग के अलावा अभियोजन पक्ष के पास कोई सबूत नहीं हैं। अतः जमानत स्वीकार की जाए।

राष्ट्रीय सहारा
नयी दिल्ली, बुधवार, 31 मई, 2000

किशन कुमार की जमानत अर्जी खारिज

सहारा समाचार

नयी दिल्ली, 30 मई। क्रिकेट मैच फिक्सिंग के सिलसिले में गिरफ्तार किशन कुमार को फेरा उल्लंघन मामले में सत्र अदालत ने जमानत नहीं दी और उसकी अर्जी को खारिज कर दिया।

नयी दिल्ली की पटियाला हाउस की अपर सत्र न्यायाधीश शारदा अग्रवाल ने अपने आदेश में कहा कि मैच फिक्सिंग मामले में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिए को टीम से हटा दिया गया है। इससे लगता है कि मामला गंभीर है। उन्होंने कहा कि वहां तक बचाव पक्ष के वकील आर.के. आनंद का यह कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास आरोपी के विरुद्ध कोई सबूत नहीं है और 45 दिन बीत जाने पर भी आरोप पत्र अदालत में दाखिल नहीं किया गया है तो इस मामले में अभी 15 दिन शेष हैं।

ज्ञात हो कि यदि प्रवर्तन निदेशालय 60 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं करता है तो आरोपी को जमानत मिल जायेगी। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के वकील सुभाष बंसल ने अपनी जिरह में कहा कि शीघ्र ही लंदन में रह रहे आरोपी संजीव चावला के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू होने जा रही है और इसके तहत प्रत्यर्पण की कार्यवाही भी शुरू होगी। निर्णय में यह भी कहा गया कि अभी इस मामले में जांच महत्वपूर्ण दौर में है और अभी कई लोगों की गिरफ्तारी भी होनी है। यदि ऐसे समय में आरोपी को जमानत दी जाती है तो जांच की कार्यवाही प्रभावित हो सकती है।

किशन को सत्र न्यायालय से भी जमानत नहीं मिली

जनसत्ता Page No-5 Date 31-5-2000

नई दिल्ली, ३० मई (जनसत्ता)। मैच फिक्सिंग कांड में आरोपी किशन कुमार की फेरा उल्लंघन के मामले में जमानत अर्जी सत्र अदालत ने भी आज खारिज कर दी। इससे पहले तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट संगीता ढींगरा सहगल ने २२ मई को किशन कुमार की जमानत अर्जी खारिज की थी।

किशन कुमार पर चार लाख डालर के लेन देन को लेकर फेरा के उल्लंघन का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक यह लेन देन क्रिकेट मैच फिक्स करने के सिलसिले में किया गया था। बचाव पक्ष की तरफ से आरके आनंद की दलील थी कि उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है। फिर प्रवर्तन निदेशालय ६० दिन की तय अवधि में किशन कुमार के खिलाफ अदालत में शिकायत भी नहीं दाखिल करने वाला। उनकी गिरफ्तारी को आज ४६ दिन हो गए हैं। आनंद का कहना था कि किशन कुमार को अब हिरासत में रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।

लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सुभाष बंसल की दलील थी कि मामले में जांच काफी आगे पहुंच गई है। लंदन के सटोरिये संजीव चावला से पूछताछ के लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनका कहना था कि अभी किशन कुमार को जमानत दी गई तो मामले की जांच पर असर पड़ेगा।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शारदा अग्रवाल ने अपना फैसला मंगलवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। सत्र अदालत ने आज अपने फैसले में कहा कि मामले में दस्तावेजों पर गौर करने से पहली नजर में लगता है कि किशन कुमार मैच फिक्सिंग में शामिल है। फिर मामले में शिकायत दाखिल करने की ६० दिन की तय अवधि पूरी होने में अभी काफी समय है। किशन कुमार को अभी जमानत पर रिहा करने से मामले की जांच पर असर पड़ने का अंदेशा है। इसलिए जज ने किशन कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

Hindustan Times P-3
6-6-2000

Non-bailable warrant issued against Chawla

HT Correspondent
New Delhi, June 5

A DELHI Court today issued non-bailable warrants against the elusive Sanjeev Chawla, suspected to be the key man behind the fixing the South Africa-India Pepsi cricket series.

The warrants against Chawla were issued by Additional Chief Metropolitan Magistrate T.R. Naval, on a complaint of Directorate of Enforcement (ED).

ED is probing alleged violation of the Foreign Exchange Regulation Act (FERA) in the match fixing episode.

Chawla is believed to the king pin. He is also alleged to be hiding in London.

Counsel for ED, Mr Subash Bansal, told the court that through directorate has already issued three summons, Chawla had failed to appear before the directorate. He further told the court that he parents of Chawla had also refused to reveal his address.

Mr Bansal further told the court that a summon had also been sent to suspected address in London. There was no response from Chawla, Mr Bansal told the court .

Issuing the summons, Mr Naval observed that there was sufficient material with the ED to summon Chawla.

He was directed to appear before the court before on June 6.

Additional Session Judge, Mrs Indermeet Kaur Kochar, dismissed the bail plea of Kalra in the police case as the mandatory period of 60 days was being completed at 4 pm today.

Even as she directed counsel for Kalra, Mr Puneet Malhotra to approach the court after 4 pm today, the Delhi Police moved the court of Additional Sessions Judge, Mr M C Mehta, seeking an extension of judicial remand of Kalra for 14 day. The court granted the same.

Mr Malhotra, subsequently moved his court and pointed out that Kalra was completing the mandatory period at 4 pm today hence and extension of judicial remand could not be allowed.

On this submission, the court asked him approach the court tomorrow at 2 pm.